डिस्कलेमर

अंतरिम आदेश संख्या 42/2022-23 का परिशिष्ट हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/केएसआईई/सी/टीवीएम/सीपी- III/2021-26

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

*****

दिनांक 23.03.2023 के आदेश संख्या 42/2022-23 का परिशिष्ट

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110003

जारी करने की तारीख: 28.06.2023

सेवा	**:**	**कार्गो हैंडलिंग सेवाएं**
सेवा प्रदाता	**:**	**केरल स्टेट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज़ेज़ लिमिटेड (केएसआईईएल)**
हवाईअड्डा	**:**	**तिरूवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (टीआरवी)**
हवाईअड्डा प्रचालक	**:**	**टीआरवी (केरल) इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड**

दिनांक 23.03.2023 के आदेश संख्या 42/2022-23 का परिशिष्ट - मैसर्स केरल स्टेट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज़ेज़ लिमिटेड (केएसआईईएल) द्वारा तिरूवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, तिरूवनंतपुरम में प्रदान की जाने वाली विनियमित एजेंट (आरए) संबंधी सेवाओं के लिए 01.07.2023 से 30.09.2023 तक के लिए तदर्थ टैरिफ

<u>स्वतंत्र सेवा प्रदाता की प्रस्तुति :</u>

1. केरल सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला राज्य का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम केरल स्टेट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज़ेज़ लिमिटेड (केएसआईईएल) तिरूवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (टीआरवी), तिरूवनंतपुरम में एयर कार्गो कॉमप्लेक्स (एसीसी) का प्रचालन कर रहा है। केएसआईईएल को सीमा-शुल्क आयुक्त ने आयात एवं निर्यात दोनों कार्गो के लिए तिरूवनंतपुरम एयर कार्गो टर्मिनल के अभिरक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

2. मैसर्स केएसआईईएल ने तिरूवनंतपुरम हवाईअड्डे पर निर्यात कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए टीआरवी (केरल) इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (टीआईएएल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो 31.03.2025 तक वैध है।

3. मैसर्स केएसआईईएल ने दिनांक 20.03.2023 के अपने पत्र द्वारा प्राधिकरण को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ-साथ वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) प्रस्तुत किया है:

   क) ऐरा के दिशा-निर्देशों के अनुसार वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव (एटीपी) फार्म.

ख) केरल स्टेट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज़ेज़ लिमिटेड (केएसआईईएल) और टीआरवी (केरल) इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (टीआईएएल) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू)
ग) हितधारकों के साथ हुई बैठक का कार्यवृत्त.

4. तत्पश्चात मैसर्स केएसआईईएल ने दिनांक 08.06.2023 के पत्र द्वारा प्राधिकरण को सूचित किया है कि मौजूदा कार्गो टर्मिनल को विनियमित एजेंट सुविधा में परिवर्तित करने की समयावधि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने 30.06.2023 तक बढ़ा दी है।

5. इसलिए केएसआईईएल प्राधिकरण से अनुरोध करता है कि वह तिरूवनंतपुरम हवाईअड्डे पर विनियमित एजेंट के रूप में प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त सेवाओं के संबंध में तदर्थ टैरिफ दरों के लिए अनुमोदन प्रदान करें। आईएसपी ने विनियमित एजेंट से संबंधित निम्नलिखित सेवाओं के लिए टैरिफ दरें प्रस्तुत की है:

Sno.	Name of new Service(s)	Details of proposed services	Tariff Rates Proposed
1.	**Screening and Certification Charge.**	To be levied to all types of Cargo	Rs. 2.25 per Kg subject to a minimum of Rs. 200/- per Consignment.
3.	**Export Documentation charges.**	To be paid by Airlines in respect of Export for providing Manifest and Envelope services.	Rs. 500/- Flight
4.	**Handling Charges.**	Acceptance of Cargo, Stacking, Feeding into X-ray Machine and to Pallets/ULDs. To be paid by airlines.	Rs. 2.50 per Kg subject to the minimum of Rs. 650/- per Consignment.

6. इसके अतिरिक्ति केएसआईईएल ने दिनांक 16.06.2023 की ई-मेल द्वारा अतिरिक्त सेवाओं के लिए प्रस्तावित टैरिफ (देखें पैरा 5) के संबंध में निम्नलिखित औचित्य/कारण प्रस्तुत किए:

Sno.	Name of new Service(s)	Applicability of proposed services	Reasons/Justifications
1.	**Screening and Certification Charge.**	For all types of Cargo	Presently, Airlines are doing the Screening of Export Cargo engaging their own Screeners or in association with other Airlines. On awarding of the RA status, KSIE would be screening the cargo, engaging their own X-ray Screeners. As per BCAS norms, the custodian should engage three Screeners per shift. Since, KSIE have two x-ray machines and to run three shifts with three Screeners per shift, the total number of Screeners required is 18. Since this payment is being met by the Exporter to Airlines, it can be treated as shifting of payment by Exporters from Airlines to KSIE and so no extra charges is to be paid by the Exporters on this account. As part of Security clearance of cargo, KSIE should also affix Security Stickers on each packaging/ carton/ palette/Container. Since the cost of Security Sticker is 0.52 paise per Sticker, this is also cause for a regular and considerable expenditure. Additionally, as part of Security Screening of cargo KSIE also make use of the ETD (Explosive Trace Detector) Machine. For the same, KSIE have to provision for consumable like Swab to use regularly. The cost of swab is also taken into account and the rate per swab is around 0.50 paise. However, KSIE are not charging for the same but a fraction amount is included in the Screening/Certification Charge.
2.	**Export Documentation charges.**	To be paid by Airlines at Export for providing Manifest and Envelope services provided.	Export Documentation charges are also applicable at other Airports.

3.	**Handling Charges.**	Acceptance of Cargo, Stacking, Feeding into X-ray Machine and to Pallets/ULDs. To be paid by airlines.	ISP submitted that presently on arrival of cargo at Export Terminal, the Unloading and Stacking of the same in the Export Terminal and then the loading into X-ray machines is done by the Loading staff of Exporters. Later, after screening is completed, the cargo will come to the Sterile Hold Area from where it is either palletized or containerized. The same is done by the staff of Ground Handling Agency for and on behalf of Airlines. On implementing RA status, activities like acceptance of cargo, stacking, feeding into x-ray machine and then to pallets /ULDs after Screening are to be done by the Regulated Agent. Taking into account the volume of cargo we handle per day (45-50 MT) around 30 Warehouse Helpers are required. However, we start with 18 nos for the time and add more numbers in between. Considering the Wages per day and other allied statutory payments, a substantial amount is to be paid towards the same.

प्राधिकरण द्वारा मैसर्स केएसआईईएल के अनुरोध की जांच:

7. प्राधिकरण नोट करता है कि केएसआईईएल ने तिरूवंनतपुरम हवाईअड्डे पर निर्यात कार्गो सेवाएं प्रदान करने के लिए टीआईएएल के साथ समझौता ज्ञापन पर (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो 31.03.2025 तक वैध है। समझौता ज्ञापन (पैरा संख्या 8 और 9) के अनुसार टीआईएएल को स्वतंत्र सेवा प्रदाता के आयात एवं निर्यात कार्गो हैंडलिंग प्रचालनों के लिए केएसआईईएल को अपना कार्गो टर्मिनल बनाने के लिए अलग भू-खंड उपलब्ध कराना है।

8. प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि टीआरवी (केरल) इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड भी तिरूवनंतपुरम हवाईअड्डे पर अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान कर रही है।

9. प्राधिकरण ने अवलोकन किया है कि केएसआईईएल के अनुरोध पर नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने दिनांक 31 मई, 2023 के अपने पत्र द्वारा तिरूवनंतपुरम हवाईअड्डे पर केएसआईईएल द्वारा स्क्रीनर लगाने का समय 30.06.2023 तक बढ़ा दिया है। इसी पत्र में बीसीएएस ने यह भी निदेश दिया है कि यदि स्क्रीनर लगाने का कार्य निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है तो सीयूडीसीटी जैसी सभी सुविधाएं/सेवा बंद कर दी गई समझी जाएगी।

10. प्राधिकरण नोट करता है कि ऐरा ने दिनांक 23 मार्च, 2023 के अंतरिम टैरिफ आदेश संख्या 42/2022-23 द्वारा केएसआईईएल द्वारा तिरूवनंतपुरम हवाईअड्डे पर प्रदान की जा रही विभिन्न कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए 30.09.2023 तक वैध तदर्थ टैरिफ का अनुमोदन प्रदान किया था।

11. जहां तक स्वतंत्र सेवा प्रदाता द्वारा मांग किए अनुसार अतिरिक्त सेवाओं से संबंधित विनियमित एजेंट के लिए प्रस्तावित टैरिफ दरों (उपर्युक्त पैरा 5 में बताए अनुसार) का संबंध है, प्राधिकरण तिरूवनंतपुरम हवाईअड्डे पर स्वतंत्र सेवा प्रदाता की कार्गो हैंडलिंग सेवाओं से संबंधित परामर्श पत्र को अंतिम रूप देते समय स्वतंत्र सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत एमवाईटीपी की विस्तृत जांच करेगा और कैपेक्स, ओपेक्स, कार्गो की मात्रा आदि जैसे अन्य संगत कारकों पर विचार करेगा।

12. इसी बीच तिरूवनंतपुरम हवाईअड्डे पर केएसआईईएल के लिए आरए संबंधी अतिरिक्त सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण ने स्वतंत्र सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तावित तदर्थ टैरिफ दरों की तिरूवनंतपुरम हवाईअड्डे पर टीआईएएल और कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर केएसआईईएल नामक अन्य सेवा प्रदाताओं से संबंधित समान सेवाओं के लिए अनुमोदित तदर्थ टैरिफ से तुलना कर ली है। तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर और स्वतंत्र सेवा प्रदाता द्वारा तिरूवनंतपुरम हवाईअड्डे पर आरए सुविधा के रूप में उनकी प्रस्तावित अतिरिक्त सेवाओं के लिए स्वतंत्र सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत औचित्य (देखें पैरा 6) को ध्यान में रखकर प्राधिकरण दिनांक 23.03.2023 के अंतरिम टैरिफ आदेश संख्या 42/2022-23 के परिशिष्ट के रूप में तदर्थ आधार पर स्वतंत्र सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तावित टैरिफ दरों और अन्य कार्गो सेवा प्रदाताओं (ऊपर उल्लिखित) की अनुमोदित टैरिफ में से आईएसपी के लिए आरए संबंधी अतिरिक्त सेवाओं के लिए न्यूनतम टैरिफ दरें मानने का निर्णय लेता है।

13. प्राधिकरण नोट करता है कि केएसआईईएल के संबंध में परामर्श पत्र और टैरिफ आदेश जारी करने सहित कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित करने की विनियामक प्रक्रिया पूर्ण होने में थोड़ा समय लगेगा।

इसके अतिरिक्त प्राधिकरण नोट करता है कि बीसीएएस के निदेशानुसार स्वतंत्र सेवा प्रदाता को टर्मिनल पर अपने स्वयं के स्क्रीनर लगाने हैं और मौजूदा कार्गो सुविधा को 01.07.2023 से आरए सुविधा में परिवर्तित करना है। तदनुसार प्राधिकरण केएसआईईएल को तिरूवनंतपुरम हवाईअड्डे पर प्रस्तावित अतिरिक्त आरए संबंधी सेवाओं के लिए संलग्नक-I के अनुसार 01.07.2023 से 30.09.2023 तक या आईएसपी के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ टैरिफ लगाने की अनुमति देने का निर्णय लेता है।

<u>आदेश</u>

रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि :

(i) मैसर्स केरल स्टेट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज़ेज़ लिमिटेड (केएसआईईएल) को तिरूवनंतपुरम अंतराष्ट्रीय हवाईअड्डा, तिरूवनंतपुरम में विनियमित एजेंट संबंधी अतिरिक्त सेवाओं के लिए संलग्नक-1 के अनुसार 01.07.2023 से 30.09.2023 तक या तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए आईएसपी के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, दिनांक 23.03.2023 के आदेश संख्या 42/2022-23 के परिशिष्ट के रूप में तदर्थ आधार पर टैरिफ लगाने और वसूल करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) इसमें निर्धारित टैरिफ वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त और कोई प्रभार न लगाया जाए।

(iii) इसमें अनुमोदित टैरिफ दरों में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(iv) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

श्री जयराज पी.वी.,
विभागाध्यक्ष (एसीसी)
मैसर्स केरल स्टेट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज़ेज़ लिमिटेड (केएसआईईएल),
(केरल सरकार का उपक्रम)
सेंट जोसेफ प्रेस बिल्डिंग, कॉटन हिल,
तिरूवनतंपुरम-695014, केरल, इंडिया

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली -110003.
2) मुख्य हवाईअड्डा अधिकारी (टीआईएएल), तिरूवनंतपुरम अंतराष्ट्रीय हवाईअड्डा, हवाईअड्डा रोड़, चक्का, तिरूवनंतपुरम, केरल-695008

<u>**संलग्नक -I**</u>

मैसर्स केरल स्टेट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज़ेज़ लिमिटेड (केएसआईईएल) के संबंध में तिरूवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, तिरूवनंतपुरम में प्रदान की जाने वाली विनियमित एजेंट (आरए) संबंधी सेवाओं के लिए 01.07.2023 से 30.09.2023 तक अनुमोदित तदर्थ टैरिफ दर कार्ड (दिनांक 23.03.2023 के आदेश संख्या 42/2022-23 का परिशिष्ट)

निर्यात कार्गो

क्र. सं.	**सेवा का विवरण**	**प्रस्तावित सेवाएं लागू होना**	**यूनिट**	**दरें रूपए में**
1.	स्क्रीनिंग और प्रमाणन प्रभार	सभी प्रकार के कार्गो के लिए	प्रति किलो	1.50
			न्यूनतम/प्रेषण	105
2.	निर्यात प्रलेखन प्रभार	एयरलाइनों द्वारा अदा किया जाए।	प्रति उड़ान	500
4.	हैंडलिंग प्रभार	एयरलाइनों द्वारा अदा किया जाए।	प्रति कि.ग्रा.	1.71
			न्यूनतम/प्रेषण	404